म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/अनुज्ञप्ति/2044 भोपाल, दिनांक 18/06/2019

## आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समिति से यह अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति का सम्मेलन आहूत कर, मण्डी समितियों के लिये लागू उपविधि सन् 2000 मे निम्नानुसार संशोधन कर नवीन उपबंध से स्थापित करे :–

(2) उपविधि 2000 की कंडिका 18(1)–अनुज्ञप्ति फीस–

18(1)(क) मे केवल भण्डारण हेतु व्यापारी के बाद "**किसान उत्पादक कंपनी** " अंतःस्थापित किया जाता है।

18(2) मे अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन– संशोधित कर नवीन प्ररूप **पांच–अ (दो),** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :–

अधिनियम की धारा 31 में उल्लेखित कृत्यकारी एवं उपविधि क्रमांक 2 (घ) में उल्लेखित कृत्यकारी अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति (लायसेंस) प्राप्त करने के लिये यथास्थिति प्रारूप–पांच अ या **पांच–अ (एक)** या **पांच–अ (दो) या** पांच ब या पांच स मे आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रारूप–पांच अ हरे रंग के कागज पर होगा, **पांच–अ (एक)**गुलाबी रंग के कागज पर होगा, **पांच–अ (दो)** पीले रंग के कागज पर, प्रारूप–पांच ब लाल रंग के कागज पर होगा । जबकि प्रारूप–पांच स सफेद कागज पर मुद्रित होगा। आवेदन फार्म मण्डी समिति द्वारा प्रदाय किया जायेगा।

मण्डी समिति मे सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा उपविधि एवं प्ररूपों को उपरोक्तानुसार संशोधित करने मे असफल रहने की स्थिति मे उपविधि एवं प्ररूप के उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 8/07/2019 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगे।

**संलग्नः–सुसंगत परिपत्र एवं प्ररूप की छायाप्रति।**

17/6

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/अनुज्ञप्ति/2045 भोपाल, दिनांक 18/6/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. जिला कलेक्टर (समस्त)।
3. अपर संचालक/संयुक्त/उपसंचालक ,(समस्त)म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. संयुक्त/उपसंचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
5. चीफ प्रोग्रामर(एमआईएस) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)।
7. गार्ड फाइल।

17/6

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/अनुज्ञप्ति/2046 भोपाल, दिनांक 18/06/2019

## परिपत्र

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 31 मे मण्डी क्षेत्र मे कार्य करने वाले व्यक्तियों/कृत्यकारियो का विनियमन एवं धारा 32 मे मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्तियां मंजूर करने की शक्तियां प्रावधानित है।

मण्डी अधिनियम की उपरोक्त धाराओ के साथ पठित उपविधि सन 2000 के अध्याय चार–अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण के अध्याधीन उपविधि कंडिका 18 मे कृत्यकारियो को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के प्रावधान है।

किसान उत्पादक कम्पनी को मण्डी कृत्यकारी के रूप में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मण्डी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी (किसान उत्पादक कंपनी) के रूप में कार्य करने के लिए किसी मण्डी क्षेत्र मे अधिसूचित कृषि उपज के संग्रहण एवं क्रय–विक्रय करने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था उपबंधित की जाती है :–

1/ किसान उत्पादक कम्पनी अपने कृषक सदस्यों से कृषि उपज के संग्रहण के लिए संग्रहणकर्ता के रूप में मान्य किये जावेंगें। संग्रहण केंद्र पर कृषि उपज का संग्रहण, श्रेणीकरण (Sorting) पैकेजिंग कर सकेंगें। ऐसे किसान उत्पादक कम्पनी/किसान उत्पादक संगठन जो केवल अपने सदस्यों से संग्रहण का कार्य करेगें, उनको मण्डियों में केवल पंजीयन की आवश्यकता होगी। इन्हें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु उक्त संगृहीत उपज की जानकारी पाक्षिक आधार पर सम्बंधित मंडी समिति को प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

2/ ऐसे किसान उत्पादक कम्पनी (एफपीसी) जो संग्रहण के साथ साथ क्रय विक्रय का कार्य भी करते है, उनके लिए संबंधित मण्डी से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। ये मण्डी प्रांगण में क्रय विक्रय के साथ साथ मण्डी प्रांगण के बाहर परन्तु मंडी क्षेत्र में जहां पर संग्रहण केंद्र है, वहां पर संग्रहण का कार्य कर सकेगें। यह संग्रहण केंद्र एफपीसी के घोषित मुख्यालय होंगे तथा संग्रहण केन्द्र उनके सदस्य कृषको के क्षेत्र में स्थापित होंगे। ऐसे किसान उत्पादक कम्पनी संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति मे **प्ररूप–पांच–अ (दो)** मे अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रंस्तुत करने पर नियमानुसार अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जावेगी।

3/ ऐसे किसान उत्पादक कम्पनी (मण्डी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी) जो मंडी में क्रय–विक्रंय करेंगे (कृषक सदस्य होना अनिवार्य नहीं है) उनके लिए रूपये एक लाख की प्रतिभूति जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। कृषको के भुगतान हेतु प्रावधानित प्रतिभूति एफडीआर/बैंक गारंटी के रूप मे से रहेगी।

4/ जो एफपीसी मंडी के बाहर संग्रहण के साथ–साथ केवल अपने सदस्यों से क्रय–विक्रय का कार्य करेंगे उनके लिए पंजीयन के साथ मात्र बोर्ड के सदस्यों की गारंटी रहेगी, क्योंकि वह उनसे लगे हुए ग्रामों में ही क्रय विक्रय का कार्य संपादित करेंगे, इसमें यह आवश्यक होगा कि बोर्ड के सदस्यों के पास आधे हेक्टेयर से अधिक भूमि होना चाहिए क्योंकि आर.आर.सी. वसूली की स्थिति में आधे हेक्टेयर से कम भूमि होने पर वसूली हेतु भूमि पर आर.आर.सी.जारी नहीं हो सकती है।

5/ संग्रहित कृषि उपज को मंडी में विक्रय हेतु लाने पर किसान उत्पादक कम्पनी को प्रवेश शुल्क से छूट दी जाएगी तथा विक्रय पर मंडी शुल्क क्रेता व्यापारी द्वारा देय होगा.

6/ संग्रहण केंद्रो को क्रय केंद्र के रूप में विकसित किये जाने पर मण्डी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी (किसान उत्पादक कंपनी) की अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी. ऐसी स्थिति में संबंधित एफपीसी अपने क्षेत्र के किसानों से उपज क्रय कर सकेंगे. ऐसे केंद्रो का प्रबंधन, एफपीसी द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा. एफपीसी को मंडी की अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक होगा. कृषकों का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम प्रतिभूति रूपये एक लाख तथा निदेशक मंडल की गारंटी/अंडरटेकिंग ली जाएगी.

7/ एफपीसी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये आवेदन फॉर्म स्वीकृत होने पर अनुज्ञप्ति फीस रूपये 1000/– ली जावेगी.

8/ एफपीसी द्वारा संग्रहण केंद्र/क्रय केंद्र से सीधे प्रसंस्करणकर्ता या व्यापारी को विक्रय किये जाने कि स्थिति में मंडी फीस का भुगतान (उस दिन के संबंधित मंडी के मॉडल रेट **या** विक्रय मूल्य जो भी अधिक हो, पर) एफपीसी द्वारा देय होगी।

9/ आवेदन के साथ आवेदक के द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसमे स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित होगा कि आवेदक के द्वारा यह अनुज्ञप्ति एफपीसी के लिये प्राप्त की जा रही है। उसके द्वारा मण्डी क्षेत्र मे कृषक/विक्रेताओ को भुगतान का कोई जोखिम नही है। शोध्य राशि का बकायादार एवं डिफाल्टर होने पर निदेशक मंडल के सभी सदस्यों से वसूली की जा सकेगी, जिसकी सहमति एवं शपथपत्र सभी सदस्यों से प्राप्त किया जायेगा।

10/ संबंधित मण्डी समिति जिसके कार्य क्षेत्र मे उक्त कृषि उपज का संग्रहण/भंडारण किया जाना है, के द्वारा उक्त आवेदन का परीक्षण कर प्रस्तावित संग्रहण केंद्र का भौतिक एवं क्षमता के सत्यापन के साथ ही संग्रहण केंद्र/स्थल के मालिकाना अथवा किरायानामा के दस्तावेजो को प्राप्त करेगी।

11/ संबंधित मण्डी समिति द्वारा एफपीसी को, ऐसी अनुज्ञप्ति जारी होने की सूचना, मंडी बोर्ड भोपाल तथा ऑचलिक कार्यालय को दी जावेगी तथा ई–अनुज्ञा पोर्टल पर अनुज्ञप्तिधारी /कृत्यकारी के विवरण मे तदानुसार प्रविष्टि की जावेगी।

12/ आवेदक के द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात अधिसूचित कृषि उपज का विवरण, ई अनुज्ञा प्रणाली मे पोर्टल पर प्रविष्ट पश्चात, अनुज्ञापत्र के माध्यम से जिस मण्डी क्षेत्र मे लाई जायेगी, का भौतिक सत्यापन संबंधित मण्डी सचिव द्वारा तत्समय कराया जायेगा। अनुज्ञापत्र सत्यापनकर्ता कर्मचारी के द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरांत अनुज्ञापत्र पर नाम पदनाम सील सहित हस्ताक्षर किये जायेगे एवं पोर्टल पर सत्यापन दर्ज किया जायेगा। अनुज्ञापत्र विहित समयावधि मे संग्रहण करने वाले क्षेत्र की मण्डी समिति मे नियमानुसार जमा कराया जायेगा। जिसका उल्लेख संबंधित मण्डी समिति मे प्रस्तुत किये जाने वाले पाक्षिकी विवरण मे भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

13 संग्रहण केंद्र पर संग्रहित अधिसूचित कृषि उपज के निर्गमन/परिवहन हेतु संबंधित मण्डी समिति मे जमा कराये गये अनुज्ञापत्रो व ई–अनुज्ञा पोर्टल प्रविष्टि के आधार पर, प्ररूप–नौ मे अनुज्ञापत्र जारी किया जावेगा।

14/ एफपीसी द्वारा मण्डी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल मे उल्लेखित व्यवस्थाओ का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं प्रावधानित व्यवस्थाओ को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी। मंडी अधिनियम एवं उपविधियो के अंतर्गत यदि कोई शोध्य राशि आवेदक पक्ष पर देय होती है, तो वह राशि एफपीसी के संचालक मण्डल के सदस्यों से वसूल की जायेगी।

15/ केवल संग्रहण हेतु बनाई गई एफपीसी का पंजीयन/जानकारी विहित प्रारूप में मंडी/मंडियो में संधारित किया जावेगा, जिसकी सूचना ऑचलिक कार्यालय एवं मंडी बोर्ड भोपाल को दी जाएगी।

16/ ऐसे समस्त एफपीसी जो कि संग्रहणकर्ता या मंडी अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करेगें समय समय पर संग्रहित की गई, क्रय की गई अथवा विक्रय की जानकारी पाक्षिकी विवरण में संबधित मंडी समिति को प्रदान करेगें।

17/ ऐसे एफपीसी जिनका कार्य क्षेत्र अर्थात उनके सदस्य किसानों की खेती एक से अधिक मंडी क्षेत्र में है, तथा उनके द्वारा एक से अधिक मंडी में अनुज्ञप्ति की मॉग की जाती है तो संभागीय अधिकारी ऐसे आवेदन प्राप्त कर संभागीय स्तर से संबंधित मंडियों के लिए विहित प्रारूप में अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगें। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति प्रति मंडी रूपये पचास हजार रूपये तथा निर्देशक मंडल के सदस्यो की गारण्टी प्राप्त की जावेगी।

संलग्न :–शपथ पत्र का प्रारूप।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/अनुज्ञप्ति/ 2047 भोपाल, दिनांक 18/06/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. जिला कलेक्टर (समस्त)।
3. अपर संचालक/संयुक्त/उपसंचालक ,(समस्त)म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. संयुक्त/उपसंचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
5. चीफ प्रोग्रामर(एमआईएस) मण्डी बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
6. भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)।
7. गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

रूपये 500/—

## शपथ—पत्र का प्रारूप

1/ मैं आवेदक (नाम) ................................ पिता/पति का नाम ................................ उम्र ..................... पता ............................ आधार कार्ड का नम्बर ................................ कृषि उपज मंडी समिति ............................. जिला ................................ में किसान उत्पादक कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य हूॅं तथा किसान उत्पादक कंपनी की मंडी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता हूॅ। मेरा मंडी अनुज्ञप्ति क्रमांक .............................. (मान नम्बर) ....................... है। जिसकी वैधता दिनांक ....................... तक है।

2/ आवेदक कृषि उपज मंडी समिति ................................ जिला ......................... में अधिसूचित कृषि उपज के किसान उत्पादक कंपनी के संचालक मंडल का सदस्य होकर मंडी समिति की अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है। जिसके लिये मेरे द्वारा प्ररूप—पांच—अ(दो) मे आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूॅ।

3/ आवेदक के द्वारा मंडी क्षेत्र में अपने कृषक सदस्यों/विक्रेताओं से अधिसूचित कृषि उपज का संग्रहण/क्रय किया जायेगा। मेरे द्वारा क्षेत्र के कृषकों/विक्रेताओं के भुगतान का कोई जोखिम नहीं है।

4/ आवेदक प्रदेश की किसी अन्य मंडी में कृषक के भुगतान, मंडी फीस, निराश्रित सहायता राशि, गोदाम किराया एवं मंडी समिति को देय किसी भी शोध्य राशि का बकायादार एवं डिफाल्टर नहीं है। बकायादार एवं डिफाल्टर होने पर निदेशक मंडल के सभी सदस्यों से वसूली की जा सकेगी जिसकी सहमति एवं शपथपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

5/ आवेदक के द्वारा मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में उल्लेखित व्यवस्थाओं का पालन किया जायेगा एवं प्रावधानित व्यवस्थाओं को भंग करने पर मंडी अधिनियम के अन्य प्रावधान लागू होकर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

6/मंडी अधिनियम, उपविधियो के अंतर्गत यदि कोई शोध्य राशि आवेदक पर निकलती है तो वह राशि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों द्वारा भुगतान की जायेगी। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के पास आधे हेक्टेयर से अधिक भूमि है जो कि संयुक्त खाते की नहीं है तथा यह भूमि कहीं गिरवी या बंधक नहीं है।

**स्थान :—**
**दिनांक :—**

**हस्ताक्षर (नाम एवं मुद्रा सहित)**
नामः पदनाम :
सभी डायरेक्टर/अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी
(किसान उत्पादक कंपनी)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **हस्ताक्षर** | **हस्ताक्षर** | **हस्ताक्षर** | **हस्ताक्षर** | **हस्ताक्षर** |
| **दिनांक** | **दिनांक** | **दिनांक** | **दिनांक** | **दिनांक** |
| **नाम** | **नाम** | **नाम** | **नाम** | **नाम** |
| **पदनाम** | **पदनाम** | **पदनाम** | **पदनाम** | **पदनाम** |

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2010 (क्रमांक 24 सन 2010) के अंतर्गत म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 31 अंतर्गत वर्णित व्यापारी (किसान उत्पादक कंपनी) हेतु (मंडी कृत्यकारी) को अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत नवीन अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए

**आवेदन का प्ररूप**

**प्ररूप – पांच–अ (दो)**
**अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन**
**किसान उत्पादक कंपनी हेतु**

| आवेदकों / कंपनी के निदेशकों के पासपोर्ट साईज का स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज का फोटो |
|---|

आवेदन क्रमांक.................. दिनांक ............................

प्रति,

अध्यक्ष / भारसाधक अधिकारी / सचिव
कृषि उपज मंडी समिति, ...........................

निवेदन है कि आवेदक किसान उत्पादक कंपनी है तथा कृषि उपज मंडी ....................... के क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज का थोक व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। आवेदक किसान उत्पादक कंपनी का विवरण निम्नानुसार है :–

1. किसान उत्पादक कंपनी का नाम ...........................................................

2. उस मंडी समिति का नाम एवं जिला, जिसके क्षेत्र में किसान उत्पादक कंपनी कार्यरत है ...............

3. किसान उत्पादक कंपनी की दशा में कम्पनी अधिनियम के अनुसार पंजीयन नम्बर (CIN) एवं तिथि ..........................................................

4. यदि किसान उत्पादक कंपनी प्रदेश की किसी मंडी का अनुज्ञप्तिधारी है तो उनका विवरण

| क | मंडी का नाम | एफ.पी.सी. का नाम | लायसेसं क्रमांक | वैधता अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

5. किसान उत्पादक कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों (Board of Directors) के नाम एवं पूर्ण पता एवं सबके आधार कार्ड नम्बर

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नाम | |
| 2. | पिता / पति का नाम | |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | उम्र | |
| 4. | पता | |
| 5. | आधार नंम्बर | |
| 6. | मोबाइल नम्बर | |
| 7. | ई–मेल एड्रेस | |
| 8. | आरक्षी केन्द्र का नाम | |

**(सूची संलग्न करें)**

6. किसान उत्पादक कंपनी का वाणिज्य कर पंजीयन क्रमांक/एसजीएसटी क्रमांक/सीजीएसटी क्रमांक.................................................................

7. किसान उत्पादक कंपनी का इन्कम टेक्स स्थायी खाता क्रमांक/पेन कार्ड नम्बर

8. किसान उत्पादक कंपनी का किन बैंकों में खाता है उन बैंकों के नाम एवं खाता क्रमांक।

| क्र. | बैक का नाम | आई.एफ.सी. कोड़ | खाता क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

**(एक से अधिक खाते होने की स्थिति में सभी बैंक खातों की जानकारी दें)**

9. किसान उत्पादक कंपनी का पूंजी नियोजन कितना है
(अंश पूजी राशि का उल्लेख करे) ..........................................................

10. किसान उत्पादक कंपनी के कारोबार का मुख्य स्थान एवं शाखाओं के पते एवं कृषकों को भुगतान करने वाले स्थल का पूर्ण पता।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कारोबार/क्रय केन्द्र का मुख्य स्थान एवं पता | |
| 2. | कारोबार/क्रय केन्द्र की शाखाओं के नाम एवं पता | |
| 3. | भुगतान स्थल का पता | |

11. किसान उत्पादक कंपनी द्वारा लाई गई अथवा क्रय की गयी अधिसूचित कृषि उपज जहॉ पर भण्डारण की जावेगी ऐसे गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज स्थल के पते।

**संग्रहण / क्रय केंद / गोदाम / कोल्ड स्टोरेज का विवरण पता**

| | | |
|---|---|---|
| संग्रहण/क्रय केंद्र/गोदाम /कोल्ड स्टोरेज का नाम | | |
| पता | | |
| गोदाम के मालिक का नाम | | |
| मालिकाना/किरायानामा अनुबंध दिनांक | | |
| अनुबंध की वैधता दिनांक | | |
| गोदामो/कोल्ड स्टोरेज की क्षमता, (मेट्रिक टन में) | | |
| कितनी क्षमता किराये से ली गयी है (मेट्रिक टन में) | | |

12. प्रस्तावित कृषि उपज जिसका व्यापार/कारोबार या भण्डारण करना चाहता है ......................................

13. किसान उत्पादक कंपनी की ओर से मंडी नीलामी एवं तौल कार्य हेतु सहायक/प्रतिनिधि के नाम एवं उनसे संबंध।

| | | |
|---|---|---|
| 1 | नाम | |
| 2 | पिता/पति का नाम | |
| 3 | संबंध | |
| 4 | उम्र | |
| 5 | पता | |
| 6 | मो. न. | |
| 7 | आधार नंबर | |
| 8 | ई–मेल | |

14. एफ.पी.सी. द्वारा गत् वर्ष में खरीदी मात्रा (मेट्रिक टन में) : ..............................................

15. एफ.पी.सी. / आवेदक प्रदेश की किसी अन्य मंडी मे कृषक भुगतान, तौल, मंडी फीस, निराश्रित सहायता राशि, गोदाम किराया एवं मंडी समिति को देय किसी भी शोध्य राशि का बकायादार एवं डिफाल्टर नही है। (इस बावत शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करे।)

16. कृषक भुगतान, मंडी फीस, निराश्रित सहायता राशि, गोदाम किराया एवं मंडी समिति को देय किसी भी शोध्य राशि का बकायादार एवं डिफाल्टर होने पर निदेशक मंडल के सभी सदस्यों से वसूली किये जाने संबंधी रजिस्ट्रीकृत सहमति कम शपथ पत्र संलग्न है।

17. मैं / हम घोषित करता / करते हूॅ कि मैने / हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधान एवं सुसंगत नियम एवं उपविधियॉ भली भॉति पढ़ी एवं समझी है जो मुझे / हमें मान्य है। में / हम उनका यथाविधि पालन करने हेतु विधि अनुसार बाध्य है।

मंडी वर्ष दिनॉक ................... से दिनॉक ......................हेतु संलग्न अनुज्ञप्ति शुल्क रूपये ................. स्वीकार कर मंडी वर्ष ........... के लिये किसान उत्पादक कंपनी के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें।

**स्थान :–**
**दिनांक :–**

**हस्ताक्षर (नाम एवं मुद्रा सहित)**
सभी डायरेक्टर / अध्यक्ष / प्राधिकृत अधिकारी
(किसान उत्पादक कंपनी)

( आवेदक द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी)

| | | |
|---|---|---|
| (1) | आवेदक म.प्र. के किस मंडी क्षेत्र का निवासी है | |
| (2) | किसान उत्पादक कंपनी किस–किस मंडी क्षेत्र में कार्यरत है। | |
| (3) | किसान उत्पादक कंपनी के सदस्यों की संख्या। | |
| (4) | क्या म.प्र. की अन्य और मंडियों में आवेदक के पास मंडी लायसेंस है, उनके नाम। | |
| (5) | क्या आवेदक म.प्र. में प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता है, तो किस जगह। | |
| (6) | आवेदक जहां का मूल निवासी है, एवं रकबे की जानकारी वहां का प्रमाण–पत्र (तहसीलदार) | |
| (7) | आवेदक म.प्र. में जहां का मूल निवासी है, वहां पर उसकी सम्पत्तियों/भूमि की जानकारी (मय प्रमाण के) | |
| (8) | किसान उत्पादक कंपनी का पंजीयन प्रमाण पत्र | |
| (9) | स्थानीय मंडी में गत् तीन वर्षो से कार्यरत: किन्ही 2 लायसेंसियों के पहचान पत्र प्रस्तुत करें। | |
| (10) | किसान उत्पादक कंपनी के निदेशकों के रकबे की जानकारी (व्यक्तिगत रकबा) | |

उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि इसमें असत्यता पाई जावें तो मंडी समिति को मेरे/हमारे विरूद्ध सभी तरह की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

**स्थान :–**
**दिनांक :**

**हस्ताक्षर**
(नाम एवं मुद्रा सहित)
सभी डायरेक्टर/अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी
(किसान उत्पादक कंपनी)

# <u>घोषणा</u>

मैं/हम किसान उत्पादक कंपनी के निदेशक मण्डल सदस्य (Director) एतदद्वारा शपथपूर्वक घोषित करते है कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत उपयुक्त सूचनायें मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है तथा सही अभिलिखित की गई है और कोई सूचना छिपाई नहीं गई हैं।

2. आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल का भली–भांति अध्ययन कर लिया है और उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुये कार्य किया जायेगा।

4. अधिनियम, नियम, उपविधि, मैनुअल में दी गई व्यवस्थाओं को भंग करने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दिये जाने के दायित्वाधीन होगी।

5. आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि मंडी समिति से जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन किया जायेगा।

6. कृषकों के भुगतान, मंडी फीस, निराश्रित सहायता राशि, गोदाम किराया एवं मंडी समिति को देय किसी भी शोध्य राशि का बकायादार एवं डिफाल्टर होने पर निदेशक मंडल के सदस्यों से बतौर राजस्व वसूली की जा सकेगी।

7. आवेदक अनुज्ञप्ति के लिये फीस एवं अभिलेख आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहा हैं।

**स्थान :–**
**दिनांक :–**

**हस्ताक्षर**
(सभी भागीदारों/संचालकों के)